|| ओ३म् ||

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula kangri (Deemed to be University) Haridwar

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

दिनांक: 06.12.2023

सेवा में,

संकायाध्यक्ष / समन्वयक
प्राच्यविद्या / मानविकी / विज्ञान / जीव–विज्ञान / अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी / प्रबन्धअध्ययन / आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य / शिक्षा / योग एवं शारीरिक शिक्षा / कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार / देहरादून।

महोदय / महोदया,

सूचित किया जाता है कि समविश्वविद्यालय में अध्ययनरत उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को उत्तराखण्ड राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2023–24 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें। आवेदन करने की तिथि **दिनांक 06.12.2023 से दिनांक 31.12.2023 है।** इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र के साथ सभी संलग्नकों सहित एक प्रति संकाय कार्यालय में, एक प्रति **SC-ST Cell** में जमा कराना होगा एवं एक प्रति छात्र / छात्रा को अपने पास रखना होगा। विद्यार्थियों को स्वयं वेबसाइट **(www.scholarships.gov.in)** पर जाकर सही योजना का चयन कर अपना आवेदन करना होगा। छात्र / छात्रायें आवेदन करने की अंतिम तिथि में परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी हेतु वेबसाइट **(www.scholarships.gov.in)** का अवलोकन करते रहें। विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त समस्त संलग्नों सहित आवेदन पत्र को अपने **संकायाध्यक्ष / समन्वयक** द्वारा अग्रसारित कराकर प्रत्येक दशा में **दिनांक 29.12.23 तक SC-ST Cell** में जमा करा दें ताकि उनके आवेदन पत्रों को निश्चित समयावधि में ऑनलाईन अग्रसारित किया जा सके।

नोटः– यदि किसी छात्र / छात्रा द्वारा माता के नाम का आय प्रमाण–पत्र दिया जाये तो उस छात्र / छात्रा से पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र या अन्य कारण का प्रमाण–पत्र अवश्य लें।

वर्ग	आय सीमा
अनुसूचित जाति	250000 / –
अनुसूचित जनजाति	250000 / –
अन्य पिछड़ा वर्ग	150000 / –
ई0 बी0 सी0 (सामान्य वर्ग)	100000 / –

Pathak 06/12/23

नोड़ल अधिकारी
(छात्रवृत्ति)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय (सूचनार्थ)
3. सम्पर्क अधिकारी (SC-ST CELL)

नोटः–अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्रायें केवल भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली छात्रवृत्ति के लिये ही आवेदन करें न कि अन्य पिछड़ा वर्ग में।